Total Pages-52

CODE NO.
Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Time : 3 Hours	Maximum Marks : 100

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बंधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्न संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर **"उत्तर के माध्यम"** के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प का ✓ के द्वारा चयन करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

****

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Booklet"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Booklet" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification and he shall also be liable for penal action under the relevant law.
4. The question number and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Booklet".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of **"Medium of Answer"** on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Booklet" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

****

FOR EXAMINER'S USE ONLY

EVALUATION TABLE			
Q. No.	**MARKS**	**Q. No.**	**MARKS**
1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	
10		21	
11		22	
Examiner's Remarks (if any)			

GRAND TOTAL: IN FIGURES .....

IN WORDS .....

SIGNATURE OF EXAMINER(S)

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये **गये** हैं।

Question No. 1 **[3 Marks]**

What is the procedure to be adopted, when defendant refuses to accept service of summons or cannot be found? Explain with the help of relevant provisions of the Code of Civil Procedure, 1908.

प्रश्न संख्या 1

क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब प्रतिवादी समन की तामील लेने से इन्कार करता है या नहीं मिलता है? सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सुसंगत प्रावधानों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

Question No. 2 **[3 Marks]**

Is subsequent suit for rent arrears maintainable after the suit for possession has been decided? Explain.

प्रश्न संख्या 2

कब्जे के लिए वाद निर्णीत हो जाने के बाद, क्या बकाया किराए के लिए उत्तरवर्ती वाद पोषणीय है? व्याख्या कीजिए।

Question No. 3 **[3 Marks]**

What is the difference between "Constructive Res Judicata" and "Suit to include whole claim"? Explain.

प्रश्न संख्या 3

"रचनात्मक पूर्व–न्याय" एवं "वाद के अंतर्गत सम्पूर्ण दावा होना" के मध्य क्या अन्तर है? व्याख्या कीजिए।

Question No. 4 **[3 Marks]**

What are the claims that can be joined for recovery of immovable property without the leave of court? Explain.

प्रश्न संख्या 4

वे दावे क्या हैं जो न्यायालय की अनुमति के बिना अचल सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए जोड़े जा सकते हैं? व्याख्या कीजिए।

Question No. 5 **[3 Marks]**

Anuj, a party, on trial before the District Judge, pleaded that a deposition was improperly taken by the Civil Judge. Whether Civil Judge be compelled to answer the questions regarding that plea? Explain with the help of relevant provision.

प्रश्न संख्या 5

अनुज, एक पक्षकार, जिला न्यायाधीश के समक्ष विचारण में तर्क करता है कि सिविल न्यायाधीश ने एक बयान अनुचित तरीके से लिया है। क्या सिविल न्यायाधीश को उस दलील के सम्बन्ध में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश किया जाएगा? सुसंगत प्रावधान की मदद से व्याख्या कीजिए।

Question No. 6 **[3 Marks]**

"Facts not otherwise relevant become relevant" is based on the principle of essential inconsistency. Explain with the help of suitable examples and relevant provision.

प्रश्न संख्या 6

"तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत हो जाते हैं" आवश्यक असंगति के सिद्धान्त पर आधारित है। यथोचित उदाहरण तथा सुसंगत प्रावधान की मदद से व्याख्या कीजिए।

Question No. 7 **[3 Marks]**

Explain the presumption related to "electronic signature" and "electronic records".

प्रश्न संख्या 7

"इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर" एवं "इलैक्ट्रानिक अभिलेखों" के सम्बन्ध में उपधारणा की व्याख्या कीजिए।

Question No. 8 **[3 Marks]**

"Whatever relevant is not necessarily admissible but whatever admissible is relevant". Explain.

प्रश्न संख्या 8

"जो भी सुसंगत है वह आवश्यक रूप से स्वीकृत नहीं है परन्तु जो भी स्वीकृत है वह सुसंगत है" व्याख्या कीजिए।

Question No. 9 **[3 Marks]**

What is the period of limitation and when it begins to run in the following cases –

A. To set aside an abatement under the Code of Civil Procedure

B. To set aside a sale in execution of a decree

C. For compensation for a malicious prosecution

प्रश्न संख्या 9

निम्न मामलों में परिसीमा काल क्या है तथा कब यह चलना आरम्भ होता है–

क. सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपशमन को अपास्त करने के लिए

ख. डिक्री के निष्पादन में विक्रय को अपास्त करने के लिए

ग. विद्वेषपूर्ण अभियोजन के निमित्त प्रतिकर के लिए

A. To set aside an abatement under the Code of Civil Procedure

क. सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपशमन को अपास्त करने के लिए

B. To set aside a sale in execution of a decree

ख. डिक्री के निष्पादन में विक्रय को अपास्त करने के लिए

C. For compensation for a malicious prosecution

ग. विद्वेषपूर्ण अभियोजन के निमित्त प्रतिकर के लिए

Question No. 10 **[3 Marks]**

A surety is like a favoured creditor. Explain.

प्रश्न संख्या 10

प्रतिभू एक पसंदीदा ऋणदाता जैसा है। व्याख्या कीजिए।

Question No. 11 **[4 Marks]**

What are the relevant provisions related to preventive detention under the Constitution of India? Explain.

प्रश्न संख्या 11

भारत के संविधान के अंतर्गत निवारण निरोध से संबन्धित सुसंगत प्रावधान क्या हैं? व्याख्या कीजिए।

Question No. 12 **[4 Marks]**

"A contract cannot be specifically enforced where a party to the contract has obtained substituted performance of contract". While explaining briefly the above statement, describe the provisions regarding substituted performance of contract in the Specific Relief Act, 1963.

प्रश्न संख्या 12

"एक संविदा का विनिर्दिष्टतः प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता जहां संविदा के एक पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है।" उक्त कथन को संक्षिप्त में स्पष्ट करते हुए संविदा के प्रतिस्थापित पालन के संबन्ध में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधान उल्लेखित कीजिए।

Question No. 13 **[4 Marks]**

Write a short note on the following-

A. Noscitur a sociis

B. Rule of ejusdem generis

प्रश्न संख्या 13

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए –

क. Noscitur a sociis (नोसीटर ए सोसिस)

ख. Rule of ejusdem generis (एजुस्डम जैनेरिस का सिद्धांत)

A. Noscitur a sociis

क. Noscitur a sociis (नोसीटर ए सोसिस)

B. Rule of ejusdem generis

ख. Rule of ejusdem generis (एजुस्डम जैनेरिस का सिद्धांत)

Question No. 14 **[4 Marks]**

Distinguish an 'offer' from an 'invitation to offer' under the Indian Contract Act, 1872.

Refer to relevant case law.

प्रश्न संख्या 14

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत एक "प्रस्ताव" से एक "प्रस्ताव के निमंत्रण" को विभेदित कीजिए। सुसंगत निर्णित विधि को संदर्भित करें।

Question No. 15 **[4 Marks]**

What is the procedure for recovery of immediate possession, under the Rajasthan Rent Control Act, 2001.

प्रश्न संख्या 15

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत तत्काल कब्जे के प्रत्युद्धरण की क्या प्रक्रिया है?

Question No. 16 **[6 Marks]**

When the court shall reject an application for permission to sue as indigent person? Explain by referring the relevant provisions of the Code of Civil Procedure, 1908.

प्रश्न संख्या 16

कब न्यायालय निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन को नामंजूर कर देगा? सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सुसंगत प्रावधानों को संदर्भित करते हुए व्याख्या कीजिए।

Question No. 17 **[6 Marks]**

What is the procedure for application for discovery of documents and what are the consequences of non compliance with order for discovery by the court? What is the meaning of "production of documents"? Explain with the help of relevant provisions of the Code of Civil Procedure, 1908.

प्रश्न संख्या 17

दस्तावेजों के प्रकटीकरण के आवेदन की प्रक्रिया क्या है और न्यायालय के प्रकटीकरण के आदेश का अननुपालन के क्या परिणाम हैं? "दस्तावेजों का पेश किया जाना" से क्या अभिप्रेत है? सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सुसंगत प्रावधानों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

Question No. 18 **[6 Marks]**

In which cases secondary evidence related to documents may be given? Explain with the help of relevant provision of Indian Evidence Act, 1872.

प्रश्न संख्या 18

किन मामलों में दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दी जा सकती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सुसंगत प्रावधान की मदद से व्याख्या कीजिए।

Question No. 19 **[6 Marks]**

What kind of property cannot be transferred? Explain with the help of relevant provision.

प्रश्न संख्या 19

किस प्रकार की सम्पत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती? सुसंगत प्रावधानों की मदद से व्याख्या कीजिए।

Question No. 20 **[6 Marks]**

Write short note on **any three** of the following –

A. Actionable Claim

B. Spes Successions

C. Usufructuary mortgage

D. Subrogation

E. Onerous gift

प्रश्न संख्या 20

निम्नलिखित में से **किन्हीं तीन** पर लघु लेख लिखिए–

क. अनुयोज्य दावे

ख. संभाव्य उत्तराधिकार

ग. भोग बंधक

घ. प्रत्यासन

य. दुर्भर दान

A. Actionable Claim

क. अनुयोज्य दावे

B. Spes Successions

ख. संभाव्य उत्तराधिकार

C. Usufructuary mortgage

ग. भोग बंधक

D. Subrogation

घ. प्रत्यासन

E. Onerous gift

य. दुर्भर दान

Question No. 21 **[10 Marks]**

Rajiv and his mother filed a suit against defendants in the year 1960 for partition and separate possession of their one-third share described in the plaint and for rendition of accounts. The suit was in respect of non-agricultural plots and movables.

The suit was decreed on 25.02.1964 directing a preliminary decree of partition be drawn in regard to the one-third share of the plaintiffs in the said plots and a final decree be drawn up through appointment of a commissioner for actual division of the plots by metes and bounds.

The defendants filed an appeal before the High Court which was dismissed on 29.03.1974.

The plaintiff filed an application on 01.05.1987 for drawing up a final decree. The defendants filed an application to drop the proceedings of final decree as it is barred by limitation. He further contends that the application for final decree is governed by Article 137 Limitation Act, which provides that where no period of limitation is

provided for any other application in the Limitation Act, the period of limitation is three years.

Write an order dealing with arguements of defendants regarding limitation and what are the essential requirement in a preliminary decree and final decree of partition.

प्रश्न संख्या 21

राजीव और उसकी माता वर्ष 1960 में प्रतिवादियों के विरुद्ध विभाजन तथा वाद में वर्णित अपने एक–तिहाई हिस्से के पृथक कब्जे तथा खातों के प्रतिपादन के लिए वाद दायर करते हैं। वाद गैर–कृषि भूखण्डों तथा चल सम्पत्तियों के बारे में था।

वाद दिनांक 25.02.1964 को उक्त भूखण्डों में वादीगण एक तिहाई हिस्से के सम्बन्ध में प्रारम्भिक डिक्री तैयार करने तथा कमिश्नर नियुक्ति के जरिए मीट्स एवं बाउन्डस द्वारा भूखण्डों के वास्तविक विभाजन पर अंतिम डिक्री तैयार के निर्देश के साथ डिक्री हुआ।

प्रतिवादीगण ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की जो दिनांक 29.03.1974 को खारिज कर दी गई।

वादी ने दिनांक 01.05.1987 को अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने अंतिम डिक्री तैयार करने की कार्यवाही को ड्रॉप करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया क्योंकि यह परिसीमा से बाधित है। उसने आगे तर्क किया कि अंतिम डिक्री का प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अधीन आता है जो प्रावधानित करता है कि जहां परिसीमा अधिनियम में किसी अन्य प्रार्थना पत्र के लिए कोई परिसीमा अवधि नियत नहीं की गई है, परिसीमा अवधि तीन वर्ष की होगी।

परिसीमा के संबन्ध में प्रतिवादीगण के तर्कों तथा विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के लिए क्या आवश्यक अपेक्षाऐं हैं, की चर्चा करते हुए एक आदेश लिखिए।

Question No. 22 **[10 Marks]**

Suresh filed a suit for specific performance of contract and permanent injunction against Ashwani on 12.12.2010. Suresh pleaded that he and Ashwani entered into an agreement to sale on 10.10.2007. Ashwani through this agreement to sale agreed to sell his half share in the property admeasuring five bigha situated in village Rampura for a total sale consideration of Rs. 5 lacs. Suresh pleaded that he paid Rs. 1 lac to Ashwani at the time of agreement to sale. The balance sale consideration is to be paid at the time of registration of sale deed. The sale deed will be registered on 13.12.2007. On 13.12.2007 Suresh reached the office of Sub-Registrar to get the sale deed registered in his favour. He contended that on that day he having the balance sale consideration and sufficient amount for the expenses to get the sale deed registered. He waited sufficiently but Ashwani did not come and he called upon Ashwani but he did not pick up his call. Therefore, he sent a legal notice to Ashwani on 15.12.2007 to rescind the balance sale consideration from him and to get the sale deed registered in his name but Ashwani did not get the sale deed registered in his fevour. Hence, this suit.

Ashwani denied each and every averment of Suresh. He denied that he entered into agreement to sale in favour of Suresh. His signatures were taken by Suresh on some blank papers as Suresh was previously his friend. He further contended that the said property is joint property which cannot be sold off without partition. He did not enter into any agreement to sale with Suresh. No question arises for him to be present at the office of Sub-Registrar on 13.12.2007. He did not receive any notice nor Suresh call him for registration of sale deed. He also contended that if, Suresh had ready and willing to perform his part of contract, he must file the suit immediately and not waited for almost three years.

During the trial Suresh examined himself and one attesting witness of the agreement. Ashwani examined himself before the court.

Frame the issues and write a judgment.

प्रश्न संख्या 22

सुरेश संविदा के विनिर्दिष्ट पालन तथा स्थाई व्यादेश के लिए एक वाद दिनांक 12.12.2010 को अश्वनी के विरुद्ध दायर करता है। सुरेश तर्क करता है कि उसने तथा अश्वनी ने दिनांक 10.10.2007 को विक्रय के लिए एक करार किया। इस विक्रय करार के जरिए अश्वनी गांव रामपुरा में अपने आधे हिस्से की पांच बीघा भूमि कुल 5 लाख रुपये के विक्रय प्रतिफल पर विक्रय करने को राजी हुआ। सुरेश ने अभिवचन किया कि उसने विक्रय करार के समय अश्वनी को 1 लाख रुपये अदा कर दिए। बकाया विक्रय प्रतिफल विक्रय पत्र के पंजीकरण के समय अदा किया जाना है। विक्रय पत्र दिनांक 13.12.2007 को पंजीकृत कराया जाएगा। दिनांक 13.12.2007 को सुरेश उप–पंजीयक के कार्यालय में अपने हक में विक्रय पत्र पंजीकृत कराने पहुंच गया। उसका तर्क है कि उस दिन उसके पास बकाया विक्रय प्रतिफल राशि तथा विक्रयपत्र पंजीकृत कराने के खर्चों के लिए पर्याप्त राशि थी। उसने पर्याप्त इंतजार किया परन्तु अश्वनी नहीं आया तथा उसने अश्वनी को फोन किया परन्तु अश्वनी ने फोन नहीं उठाया। इसलिए उसने दिनांक 15.12.2007 को अश्वनी को एक विधिक नोटिस शेष प्रतिफल राशि रद्द करने तथा विक्रय पत्र अपने हक में पंजीकृत कराने का दिया परन्तु अश्वनी ने उसके हक में विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं करवाया जिस कारण वाद प्रस्तुत करना पड़ा।

अश्वनी ने सुरेश के प्रत्येक कथन को अस्वीकार किया है। उसने सुरेश के हक में विक्रय के करार करने से भी इन्कार किया है। उसके हस्ताक्षर सुरेश ने खाली कागजों पर करा लिए थे चूंकि पूर्व में सुरेश उसका मित्र था। उसने आगे तर्क किया है कि उक्त सम्पत्ति एक संयुक्त संपत्ति है जो विभाजन के बिना बेचान नहीं की जा सकती है। उसने सुरेश के साथ कोई विक्रय का करार नहीं किया था। उप–पंजीयक के कार्यालय में दिनांक 13.12.2007 को उसके उपस्थित होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उसे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है ना ही सुरेश ने उसे विक्रय पत्र पंजीकृत कराने के लिए कोई फोन किया था। उसने यह भी तर्क दिया है कि सुरेश संविदा के अपने भाग की पालना करने को तैयार और तत्पर था तो उसे तुरन्त ही वाद दायर करना चाहिए था तथा करीब तीन वर्षों तक इंतजार नहीं करना चाहिए था।

विचारण के दौरान सुरेश ने स्वयं को तथा करार के एक प्रमाणक साक्षी को परीक्षित कराया है। अश्वनी ने स्वयं को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया है।

विवाद्यक विरचित करें तथा निर्णय लिखें।

****

SPACE FOR ROUGH WORK/रफ कार्य हेतु स्थान